न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस

1. **अपील संख्या 45/2017**

अंचलाराम पुत्र घंमडाराम जाति नायक निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. ज्ञानकौर पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह जाति कमोहसिख निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह जाति कमोहसिख निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर ।

—रेस्पोडेन्टान

2. **अपील सं. 46/2017**

अंचलाराम पुत्र घंमडाराम जाति नायक निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. ज्ञानकौर पत्नी महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह जाति कमोहसिख निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. अमरजीतसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह पुत्र मलसिंह जाति कमोहसिख निवासी चक 6 एस एस तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर ।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपायुक्त उपनिवेशन सूरतगढ दिनांक 29.01.1974 एवं

8/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखंड अधिकारी श्री विजयनगर दिनांक 25.10.2016

उपस्थितिः—

श्री महेन्द्र प्रताप सोनी अभिभाषक अपीलांट।

श्री देवेन्द्रसिंह एवं श्री मनमोहन गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.।

श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय **दिनांक :— 08.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी महेन्द्रसिंह ने सरकारी कृषि भूमि के आवंटन का प्रा.पत्र आवंटन अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष पेश करने पर बाद जांच आवंटन अधिकारी एवं उपायुक्त उपनिवेशन सूरतगढ ने दिनांक 29.01.1074 को प्रार्थी महेन्द्रसिंह को चक 6 एसएस के मु.न. 183/451 के कि.न. 4 से 8, 23 से 25 व मु.न.188/450 का कि.न. 6 कुल 20 बीघा भूमि का आवंटन किया गया । जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 46/2017 पेश की है। उक्त भूमि का आवंटन किश्तों की राशि जमा नहीं कराने से आवंटन खारिज होने के पश्चात रेस्पो. ने उपखंड अधिकारी, श्री विजयनगर के एक प्रा.पत्र दिनांक 15.05.2015 को रकबा की किश्तों की राशि जमा कराने एवं रकबा बहाल करने का निवेदन किया गया । जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर उपखंड अधिकारी श्री विजयनगर ने अपने आदेश दिनांक 25.10.2016 को किश्तों की राशि जमा कराने पर रकबा बहाल करने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील संख्या 45/2017 पेश की है। चूंकि दोनों ही प्रकरणों में विवाविद भूमि एक ही है। वकील अपीलांट द्वारा बहस नहीं करने पर वकील रेस्पो. की एक तरफा बहस सुनी गई । दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट के अपील मीमों एवं रेस्पो. की बहस में अभिभाषक रेस्पो. द्वारा जाहिर किया कि अपील अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.10.2016 के विरूद्ध हुई, सी.पी.सी में स्पष्ट प्रावधान धारा 96 में मूल डिक्रियों की अपील के प्रावधान तथ धारा 104 में आदेशों की अपीलों के प्रावधान है, दोनों ही सन्दर्भ धाराओं का पठन किया जो क्रमशः 96 की Bare reading " Appeal from original decree - (1)Save where otherwise expressly provided in the body of this Code or by any other law the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any Court exercising original jurisdiction to the Court authorized to hear appeals from the decisions of such Court.

(2) An appeal may lie from an original decree passed exparte. (3) No appeal shall lie from a decree passed by the Court with the consent of parties. (4) No appeal shall lie, except on a question of law, from a decree in any suit of the nature cognizable by Courts of Small Causes, when the amount or value of the subject-matter of the original suit does not exceed .". तथा धारा 104 Bare reading " Orders from which appeal lies-- (1) An appeal shall lie from the following orders, and save as otherwise expressly provided in the body of this Code or by any law for the time being in force, from no other orders:-

an order under section 35-A.

an order under section 91 or section 92 refusing leave to institute a suit of the nature referred to in section 91 or section 92, as the case may be.

(g) an order under section 95

(h) an order under any of the provisions of this Code imposing a fine or directing the arrest or detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree.

(i) any order made under rules from which an appeal is expressly allowed by rules.

provided that no appeal shall lie against any order specified in clause (ff) save on the ground that no order, or an order for the payment of a less amount, ought to have been made.

(2) No appeal shall lie from any order passed in appeal under this section.

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपखंड अधिकारी का निर्णय सी.पी.सी के उपरोक्त दोनों धाराओं की परिधि में नहीं आता क्योंकि आवंटित रकबा किश्तों के जमा न करने की वजह से खारिज हो गया हो तो बहाली के आदेश उपखंड अधिकारी को न होकर विधायिका द्वारा नियमों में संशोधन कर बहाली के प्रावधान किये है सन्दर्भ. Notification N 14(8) colo/2009 का पठन अधिवक्ता द्वारा किया जिसका सन्दर्भ उद्धरण है कि " Amendment of rule 17 " In excercise of the power conferred by section 28 read with section 7 of the Rajasthan Colonisation Act, 1954 (Act No. 27 of 1954) the State Government hereby mades the following rules further to amed the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules , 1975 namely :-

1- Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) (Amendment) Rules 2013 (2) They shall come into force at once.

2- Amendment of rule 13-A.- In clause (ix) of sub rule (5) of rule 13-A of the Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975 , herein after referred to as the said rules, for the existing expression"31st March, 2013", the expression 31st December, 2013" shall be substituted.

Amendment of rule 17- In sub rule (8) of rule 17 of the said rules, the existing second proviso shall be substituted by the following new provisos, namely:-

" Povided further that where the allottee fails to deposit the installments of price of land, no action for cancellation of allotment of land shall be taken by the allotting authority of the allottee deposits the remaining umpaid price of land without any interest." इसी Notification में जो रकबे खारिज किये गये बाबत प्रावधान किये गये है कि " where the allotment of land has been cancelled for non-payment of installments of price of land and land has not been allotment to any other person, the

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

allotment shall be restored if the the allottee deposits the remaining unpaid price of land without an interest." यही Notification है जो रेस्पों. को Relief देता हैं उपखंड अधिकाकरी का निर्णय दिनांक 25.10.2016 राज्य सरकार द्वारा जारी Notification की पालना में पृष्ठाकित एक तहरीर होकर दस्तावेज है जो अपीलीय डिक्री व आदेश नहीं हो सकता तथा जो नियमों में संशोधन राज्य सरकार के Notification से हुआ है व उसे सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है।

अतः कानून की निगाहों में उपखंड अधिकारी के कार्यालय की आदेशिका व पत्र दिनांक 25.10.2016 न तो डिक्री है न ही Appeallble आदेश है। अतः इसकी अपील Lie नहीं होने से Admission स्तर पर खरिज योग्य है।

अभिभाषक रेस्पो. ने रेस्पों को आवंटित भूमि के गुणावगुण पर बहस करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट की हैसियत सिर्फ अतिक्रमी की है जिसे बेदखल किया जाना अधी.न्यायालय की पत्रावली से साबित है जबकि रेस्पो. 1 अप्रेल 1955 के पहले का राजस्थान का निवासी होकर , राजस्थान उपनिवेशन (1955 के पश्चात अस्थाई कृषि पट्टे धारियों को तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राजस्थान नहरी परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1071 के पात्रता रखने से उसे भूमि आवंटित हुई थी जो सद्भावी काश्तकार होकर आवंटित भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर चला आ रहा है। परन्तु समय पर पैसो की व्यवस्था नहीं होने किश्त जमा नहीं कर सकने से आवंटन खारिज हो गया, इस प्रकृति के हजारों काश्तकारों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर काश्तकारों को राहत देते हुए निरस्त हुए आवंटनों के लिए ब्याज मुक्त किश्त जमा करवा आवंटन बहाल के नियम में संशोधन किया है रेस्पो. इस Relief को हासिल करने का अधिकारी हैं। अतः अपील खारिज कर रेस्पो. की किश्तें जमा करवाने के लिए उपखंड अधिकारी द्वारा जारी तहरीर की पालना करवाने का निवेदन किया।

8/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पश्चात अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, उपखंड अधिकारी श्रीविजयगनर का निर्णय दिनांक 25.10.2016 राज्य सरकार के Notification की पालना में जारी होना जाहिर है जिसका आधार तहसीलदार विजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2015 में रेस्पो. के रकबा बहाल की अनुशंषा है के अतिरिक्त अधी.न्यायालय की पत्रावली के साथ नत्थी रेस्पो. के आवंटन की मूल पत्रावली का भी अवलोकन किया । पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.01.1974 प्रासांगिक है जो निम्नुसार है:–

"आज यह मिसल वास्ते निर्णय पेश हुई। सायल श्री महेन्द्रसिंह उपस्थित । उपनिवेशन तहसीलदार तहसील नं. 3 समिति सचिव उपस्थित । श्री महेन्द्रसिंह ने चक 5, 6 ए एस में 24 बीघा रकबा बतौर भूमिहीन कृषक स्थाई अलाट कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न है जिसके अनुसार प्रार्थी 1.4.55 से पूर्व का राजस्थान का निवासी है। सद्भावी कृषक है। सायल के नाम भूमि नहीं है। परन्तु प्रार्थी के पिता के नाम 6.10 बीघा नहरी +12 बीधा बारानी भूमि है । प्रार्थी का पिता जीवित है और सायल वगैरह दो भाई है। नहरी बारानी के अनुपात से सायल का हिस्सा उपरोक्त रकबे में करीब 5 बीघा बनता है। शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा 15.10.55 के बाद बेचान या अन्य तरीके द्वारा भूमि का हस्तान्तरण नहीं कराया है और न ही कोई भूमि प्राप्त की गई है। रिपोर्ट तहसील के अनुसार प्रार्थी के नाम रकबा रकबा जैर बहस सन् 1970 से लगातार अस्थाई रकबा वाके चक नं. 6 ए एस मु.न. 181/451 कि.न. 4 ता 8 की 5 बीघा, 12 ता 25 की 14 बीघा मु.न. 188/450 कि.न. 6 कुल 20 बीघा रकबा कमांड लाईट लूम कीमतन स्थाई अलाट किया जाता है। शेष 4 बीघा रकबे का कब्जा बहक सरकार लिया जावें । नियमों की शर्तो की पालना हेतु प्रार्थी द्वारा इकरारनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया । हुकम सुनाया गया"। हस्ताक्षर ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों अनुसार अपीलांट सरकार भूमि पर न केवल अतिक्रमी है अपितु उसे बेदखल किये जाने के पश्चात पुनः

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Subsequent Tresspass किया जाना भी पत्रावली पर उल्लेखित है जिसके लिए अपीलांट को सिविल कारावास के दण्ड से दंडित किया जा सकता है।

रेस्पो. के सम्बन्ध में उसके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पक्ष से सहमत न होने का कोई कारण नहीं होने से अपील गुणावगुण एवं मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है तथा अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर